

संख्या-493/11-3-14-125/03

प्रेषक,

एस०एन० प्रसाद,  
सचिव,  
उ०प्र० शासन।  
सेवा में,  
कमिशनर,  
वाणिज्य कर,  
उ०प्र०, लखनऊ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-3

लखनऊदिनांक:: २३ मई, 2014

विषय:- वाणिज्य कर विभाग में वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढँचे का पुर्णगठन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या स्था-3(ख)पदोन्नति वाहन चालक /2013-14/1061/वाणिज्य कर, दिनांक 05-06-2013 एवं पत्र संख्या स्था-3(ख)वाहन चालक-समायोजन/पदोन्नति/2013-14/5148/वाणिज्य कर, दिनांक 30-01-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति (2008) के नवम प्रतिवेदन (भाग-1) द्वारा वाहन चालक संवर्ग के संबंध में की गयी पूर्ण संस्तुतियों पर पुनर्विचार करते हुये दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में निर्गत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या वे०आ०- 2-290/दस-54(एम)/2008 टी०सी० दिनांक 14 जून, 2012, वे०आ०-2- 487/दस-54(एम)/2008 टी०सी० दिनांक 18 सितम्बर, 2012 एवं वे०आ०- 2-652/दस-2012-54(एम)/2008 टी०सी०, दिनांक 31 जनवरी, 2013 के प्रावधानों के क्रम में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

772  
23.5.14  
प्रधानमंत्री

(1) वाणिज्य कर विभाग में चालक के कुल 459 पद स्वीकृत हैं। उक्त वाहन चालक संवर्ग के पदों को निम्नानुसार 5 ग्रेडों में रखा जाय:-

क्रम सं०	विभाग का नाम	कुल स्वीकृत पद	ग्रेड का नाम/ वेतन बैण्ड व ग्रेड पे	प्रतिशत	भर्ती का स्रोत	कुल सं०	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वाणिज्य कर विभाग	459	झाइवर ग्रेड-4 5200- 20200	संवर्ग में पदों की कुल संख्या	(एक) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	138 पद	परन्तु यह कि ऊपर उल्लिखित पुर्णसंरचना के परिणाम स्वरूप निम्नतर ग्रेड के पदों पर काम कर रहे

प्रधानमंत्री  
23-५-१४121  
23.5.14

2/-

				ग्रेड पे 1900	का 30. प्रतिशत	(दो) 20 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्ति क्लीनरों व समूह घ कर्मचारियों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और यथा स्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का तीन वर्ष से अन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लाईसेंस रखता हो, तथा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा:- परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पोषक	व्यक्तियों को ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर उच्चतर ग्रेड के पदों पर केवल एक बार के लिये समायोजित किया जायेगा और उच्चतर ग्रेड के पदों पर इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार उनका वेतन निर्धारण किया जायेगा। परन्तु अग्रतर यह है कि:- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझे। आयुः:- सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अध्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की जिसमें रिक्तियां या विज्ञप्ति या अधिसूचित की जाए। कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।
--	--	--	--	------------------	-------------------	--	---

					संवर्ग में, पौष्टक संवर्ग या पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो, तौ ऐसी रिक्तियों को उपखण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा।	
02	उक्त	459	झाईवर ग्रेड-3 5200- 20200 ग्रेड पे 2400	संवर्ग में पदों की कुल संख्या का पच्चीस प्रतिशत	मौलिक रूप से नियुक्त झाईवर ग्रेड-4 में से जिन्होने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में नौ वर्ष की सेवापूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।	114 पद
03	उक्त	459	झाईवर ग्रेड-2 5200- 20200 ग्रेड पे 2800	संवर्ग में पदों की कुल संख्या का बीस प्रतिशत	मौलिक रूप से नियुक्त झाईवर ग्रेड-3 में से जिन्होने भर्ती के प्रथम दिवस को झाईवर ग्रेड-3 के पद पर <u>छः</u> वर्ष की मौलिक सेवापूर्ण कर ली हो,	92 पद

file

4/-

					या भर्ती के प्रथम दिवस को ड्राईवर ग्रेड-4 और ड्राईवर ग्रेड-3 के पद पर कुल मिलाकर <u>15 वर्ष</u> मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा	
4	उक्त	459	ड्राईवर ग्रेड-1 9300- 34800 ग्रेड पे 4200	संवर्ग में पदों की कुल संख्या का पन्द्रह प्रतिशत	मौलिक रूप से नियुक्त ड्राईवर ग्रेड-2 में से जिन्होने भर्ती के प्रथम दिवस को ड्राईवर ग्रेड-2 के पद पर <u>तीन वर्ष</u> की सेवापूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा	69 पद
5	उक्त	469	विशेष ग्रेड 9300- 34800 ग्रेड पे 4600	संवर्ग में पदों की कुल संख्या का दस प्रतिशत	मौलिक रूप से नियुक्त ड्राईवर ग्रेड-1 में से जिन्होने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में एक वर्ष की सेवापूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा	46 पद

2- वाहन चालक के उपरोक्तानुसार पुनर्गठन के फलस्वरूप उपलब्ध पदों पर भर्ती/समायोजन/प्रोन्नति की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

“उक्तानुसार पुनर्गठन के फलस्वरूप संशोधित/उच्चीकृत ग्रेड वेतन के उपलब्ध पदों पर वर्तमान में निम्न स्तर के पदों पर कार्यरत पदधारकों से ज्येष्ठता एवं उपयुक्ता के आधार पर एक मुश्त समायोजन कर दिया जाय। उक्तानुसार समायोजित होने वाले पदधारकों का संशोधित/उच्चीकृत ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/ दस-59(एम)/ 2008, दिनांक 24-12-2009 एवं वे0आ0-2-577/दस-59(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 29-06-2010 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। एक मुश्त समायोजन की सुविधा सिर्फ एक बार ही दी जायेगी। उक्त सुविधा के उपरान्त रिक्त होने वाले पदों के सम्बन्धित पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं भर्ती की प्रक्रिया के अनुसार ही भरा जायेगा।”

3- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,

(एस0एन0प्रसाद)

सचिव।

संख्या-493(1)/11-3-14-125/03 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1, 2, उ0 प्र0 शासन।
- (2) वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-9, उ0 प्र0 शासन।
- (3) विभागीय आदेश प्रस्तिका।

आज्ञा से,

( प्रभु शंकर )

संयुक्त सचिव।



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-

डब्लू०/एन०पी०-११/२०११-१३

लाइसेंस टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गणराज्य, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिषिक्षा

भाग—४, छप्पड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, ८ मई, २०१३

बैशाख १८, १९३५ शके सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग—१

संख्या १३/१२/९३-का-१-२०१३

लखनऊ, ८ मई, २०१३

अधिभूतना

प्रकीर्ण

सा०प० नि०-३४

संविधान के अनुच्छेद-३०९ के परन्तुक हासा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, १९९३ में संशोधन करने की दृष्टि से नियमलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, २०१३

१-(१) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, संक्षिप्त नाम रौर प्रारम्भ २०१३ कही जायेगी।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

२-उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, १९९३ में, जिसे आगे उक्त नियमावली नियम-६ का प्रतिस्थापन कहा गया है, नीचे स्तम्भ-१ में दिये गये दिवाना नियम-६ के स्थान पर स्तम्भ-२ में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-१  
विद्यमन नि यम

स्तम्भ-२  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम  
(१४ जून, २०१२ से प्रभारी)

सेवा का संवर्ग

६- प्रत्येक सरकारी विभाग या कार्यालय ने सेवा का संवर्ग सेवा की सदस्य संख्या, उत्तीर्ण होगी जितनी, यथारिति, सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन समय-समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

६.(१) प्रत्येक सरकारी विभाग या कार्यालय ने सेवा की सदस्य संख्या उत्तीर्ण होगी जितनी, यथारिति सुसंगत सेवा नियमावली या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन समय-समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

संभ-1

## विद्यमान नियम

संभ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम  
(14 जून, 2012 से प्रभावी)

(2) जब तक उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जायें, प्रत्येक सरकारी विभाग या कार्यालय में प्रत्येक श्रेणी के पदों और सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी, जितनी नीचे दी गयी है।

(क) सरकारी विभाग या कार्यालय, जहां ड्राइवर संवर्ग में पदों की कुल संख्या दस या दस से अधिक हो, पदों का विभाजन निम्नवत होगा :-

क्र.सं.	पद का नाम	प्रतिशत के रूप में पदों की संख्या
1.	ड्राइवर ग्रेड-4	संवर्ग में पदों की कुल संख्या का तीस प्रतिशत
2.	ड्राइवर ग्रेड-3	संवर्ग में पदों की कुल संख्या का पच्चीस प्रतिशत
3.	ड्राइवर ग्रेड-2	संवर्ग में पदों की कुल संख्या का बीस प्रतिशत
4.	ड्राइवर ग्रेड-1	संवर्ग में पदों की कुल संख्या का पन्द्रह प्रतिशत
5.	ड्राइवर (विशेष ग्रेड)	संवर्ग में पदों की कुल संख्या का दस प्रतिशत

(ख) सरकारी विभाग या कार्यालय, जहां ड्राइवर संवर्ग में पदों की कुल संख्या दस से कम हो, पदों का विभाजन निम्नवत होगा :-

क्र.सं.	संवर्ग में पदों की संख्या	ड्राइवर ग्रेड-4	ड्राइवर ग्रेड-3	ड्राइवर ग्रेड-2	ड्राइवर ग्रेड-1	ड्राइवर (विशेष ग्रेड)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1	1	—	—	—	—
2	2	1	1	—	—	—
3	3	1	1	1	—	—
4	4	1	1	1	1	—
5	5	1	1	1	1	1
6	6	2	1	1	1	1
7	7	2	2	1	1	1
8	8	2	2	2	1	1
9	9	3	2	2	1	1

स्तम्भ-1  
विद्यमान नियम

स्तम्भ-2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम  
(14 जून, 2012 से प्रभावी)

परन्तु यह कि उपर उल्लिखित पुनर्संरचना के परिणाम स्वरूप ग्रेड के पदों पर काम कर रहे व्यक्तियों को ज्येष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर उच्चतर ग्रेड के पदों पर केवल एक घर के लिए समायोजित किया जायेगा और उच्चतर ग्रेड के पदों पर इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये संकार के आदेशों के अनुसार उनका वेतन निर्धारण किया जायेगा।

परन्तु अग्रतर यह कि :-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थागित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सुजन कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझे।

3-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1  
विद्यमान नियम

भर्ती का स्रोत

7- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी

(1) ड्राइवर ग्रेड-4

(एक) 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) 20 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वर्लीनरों और समूह 'घ' के कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और, यथारिति, भारी या हल्के वाहन चलाने का तीन वर्ष से अन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो तथा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

परन्तु यदि पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग की अनुपलब्धता अथवा पोषक संवर्ग में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तो, ऐसी शिक्षियों को उपर्यण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा।

स्तम्भ-2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम (14 जून, 2012 से प्रभावी)

भर्ती का स्रोत

7- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :

(1) ड्राइवर ग्रेड-4

(एक) 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) 20 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त वर्लीनरों और समूह 'घ' कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और, यथारिति भारी या हल्के वाहन चलाने का, तीन वर्ष से अन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो तथा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग में, पोषक संवर्ग या पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों को उपर्यण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा।

स्तम्भ-1  
विद्यमान नियम

(2) ड्राइवर ग्रेड-3

मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड-4 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में नौ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और विहित व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(3) ड्राइवर ग्रेड-2

मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड-3 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड-3 के पद पर छः वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो या, भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड-4 और ड्राइवर ग्रेड-3 के पद पर कुल मिलाकर पन्द्रह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और विहित व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(4) ड्राइवर ग्रेड-1

मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड-2 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड-2 के पद पर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

टिप्पणी— उपर्युक्त (2) और (3) में निर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम ऐसा होगा जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (प्रथम सशोधन) नियमावली, 2009 के प्रारम्भ के समय उक्त व्यावसायिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम शासनादेश संख्या—वै०आ०-२-४३३/ दस-२००५-४४/२००१-टी.सी., दिनांक 11 मई, 2006 और शासनादेश संख्या—वै०आ०-२-१०५७/दस-२००८, दिनांक 18 अक्टूबर, 2008 में विहित किया गया है।

नियम-10 का  
प्रतिस्थापन

4-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1  
विद्यमान नियम

आयु

10— सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित या अधिसूचित की जांय कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

स्तम्भ-2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

आयु

10— सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित या अधिसूचित की जांय कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

स्तम्भ-1  
विद्यमान नियम

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

5-उक्त नियमावली में, नियम-22 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर नियम-22 का संशोधन स्तम्भ 2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1  
विद्यमान उप-नियम

(2) उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 के प्रारम्भ के समय वेतनमान संशोधन निम्नवत् दिये गये हैं :

पद का नाम	वेतनमान		
	वेतन बैण्ड का नाम	तत्सदृश वेतन बैण्ड (रु. में)	तत्सदृश ग्रेड वेतन (रु. में)
(1) ड्राइवर ग्रेड-4	वेतन बैण्ड-1	5200-20700	1900
(2) ड्राइवर ग्रेड-3	बैण्ड-1	5200-20200	2400
(3) ड्राइवर ग्रेड-2	बैण्ड-1	5200-20200	2800
(4) ड्राइवर ग्रेड-1	बैण्ड-2	9300-34800	4200

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम (14 जून, 2012 से प्रभावी)

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम

(2) उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2013 के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नवत् दिये गये हैं:-

पद का नाम	वेतनमान		
	वेतन बैण्ड का नाम	तत्सदृश वेतन बैण्ड (रुपया)	तत्सदृश ग्रेड वेतन (रुपया)
(1) ड्राइवर ग्रेड-4	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	1900
(2) ड्राइवर ग्रेड-3	बैण्ड-1	5200-20200	2400
(3) ड्राइवर ग्रेड-2	बैण्ड-1	5200-20200	2800
(4) ड्राइवर ग्रेड-1	बैण्ड-2	9300-34800	4200
(5) ड्राइवर (विशेष ग्रेड)	बैण्ड-2	9300-34800	4600

लाजा से,  
राजव कुमार,  
प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

मनजीत रिंह  
प्रमुख सचिव, वित्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।  
(2) सभस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-२

लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2009

विषय:- पुनरीक्षित वेतन सरचना में वेतन निर्धारण।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-वे०आ०—२—१३७१/दस—५९(एम)—२००८, दिनांक ०२ जनवरी, २००९ एवं संख्या-वे०आ०—२—२९९/दस—५९(एम)—२००८ टी०सी०, दिनांक २७ फरवरी, २००९ समर्थित शासनादेश सं. ड्रा—वे०आ०—२—१३१८/दस—५९(एम)/२००८, दिनांक ०८ दिसम्बर, २००८ के माध्यम से दिनांक ०१ जनवरी, २००६ से लागू पुनरीक्षित वेतन सरचना में वेतन निर्धारण से सम्बन्धित विस्तृत व्यवस्था की गयी है।

२— उपर्युक्त शासनादेश दिनांक ०८ दिसम्बर, २००८ के रूपान्तरण-४ के आधार पर दिनांक ०१ जनवरी, २००६ वे उपरान्त किसी पद/संवर्ग का वेतनमान उच्चीकृत/संशोधित होने की स्थिति में उच्चीकरण/संशोधन रैंग तिथि से पुनरीक्षित वेतन सरचना चुनने पर वेतन निर्धारण की व्यवस्था उपलब्ध है किन्तु पुनरीक्षित वेतन संरचना में आने के उपरान्त पद का वेतनमान उच्चीकृत/संशोधित होने की स्थिति में उच्चीकृत पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की व्यवस्था उपर्युक्त शासनादेश दिनांक ०८ दिसम्बर, २००८ में उपलब्ध नहीं है। ऐसे संवर्ग/पदों जिनके वेतनमान का उच्चीकरण/संशोधन दिनांक ०१ जनवरी, २००६ के बाद हुआ हो और राम्भन्धित पदधारक द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना, वेतनमान उच्चीकरण की तिथि के पूर्व से चुनने का विकल्प दिया गया हो, उन मामलों में पुनरीक्षित वेतन संरचना में पद के उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक वा वेतन निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

- (1) किसी कार्मिक द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में आने के उपरान्त यदि सम्बन्धित पद के उच्चीकृत/संशोधित

(2)

वेतनमान के उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से प्राप्त करने का विकल्प दिया जाता है, तो उच्चीकरण की तिथि को वेतन बैण्ड में उसका वेतन (बैण्ड वेतन) अपरिवर्तित रहेगा और उच्च ग्रेड वेतन अनुमत्य होगा। तदोपरान्त 06 माह अथवा उसके उपरान्त पड़ने वाली पहली जुलाई को उसे अगली सामान्य वेतन वृद्धि अनुमत्य होगी।

(2)

यदि संबंधित कार्मिक द्वारा पद के उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में, उच्चीकरण की तिथि के उपरान्त पड़ने वाली अपनी सामान्य वेतन वृद्धि की तिथि से, वेतन निर्धारण हेतु विकल्प दिया जाता है, तो उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक को उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से वेतन निर्धारण का कोई लाभ देय नहीं होगा अर्थात् उसका वेतन बैण्ड में वेतन तथा ग्रेड वेतन ग्राहक रहेगा और अगली वेतन वृद्धि की तिथि अर्थात् 01 जुलाई को संबंधित कार्मिक को देय सामान्य वेतन वृद्धि, जो उसे पूर्व से मिल रहे वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के आधार पर आगणित होगी, अनुमत्य कराते हुए उच्च ग्रेड वेतन देय होगा।

(3)

उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड/ग्रेड में संबंधित कार्मिक का वेतन शासनादेश संख्या—वे0आ0—2—1371/दस—59(एम)/2008, दिनांक 02 जनवरी, 2009 सपष्टित शासनादेश संख्या—वे0आ0—2—1313/दस—59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक—2 में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अथवा इसके बाद नियुक्त सीधी भर्ती के कर्मचारियों के लिये पनरीक्षित वेतन रखना की तालिका (ब) में संबंधित वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन में सम्मुख उल्लिखित कुल धनराशि से कम वेतन निर्धारित होने पर उसे उपर्युक्त तालिका (ब) के अनुसार आगणित कुल धनराशि के बराबर मूल वेतन निर्धारित किया जाये।।।

3— उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार वेतन निर्धारण से सम्बन्धित उदाहरण सलग्नक—1 पर उपलब्ध है।

(3)

4— उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 03 दिसम्बर, 2008 उक्त सीमा तक रांशोधित  
समझा जायेगा।  
संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

( मणजीत सिंह )  
प्रमुख सचिव।

संख्या—वेआ०-२-८४१ (१) / दस-५९(एम) / २००८, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— महालेखाकार (लेखा एवं हक्कदारी)—I एवं II तथा (आडिट)—I एवं II, उ०प्र०
- 2— प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
- 3— प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4— महानिव्यक्त, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5— निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
- 6— निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
- 7— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 8— उ०प्र० सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9— इरला चैक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10— गार्डबुक।

आज्ञा से।

( नरेन्द्र कुमार )  
संयुक्त सचिव।

(4)

## संलग्नक-1

शासनादेश संख्या-वे0आ०-२- 841 / दस-59(एम) / 2008, दिनांक 24 दिसम्बर  
2009 का संलग्नक

- (क) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में 02 जुलाई से अनुवर्ती वर्ष की 01 जनवरी तक उच्चीकरण होने के फलस्वरूप वेतन निर्धारण
- (1) पद हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को रु0 5200-20200 एवं रु0 2000/- निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन
  - (2) यदि दिनांक 01 जनवरी, 2006 को निर्धारित बैण्ड वेतन है - रु0 6910/-
  - (3) अतः दिनांक 01 जनवरी, 2006 को मूल वेतन (बैण्ड वेतन+ग्रेड वेतन). रु0 8910/-
  - (4) दिनांक 01 जुलाई, 2006 एवं 01 जुलाई, 2007 की वेतन वृद्धियों अनुमत्य कराते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2007 को निर्धारित मूल वेतन (बैण्ड वेतन रु0 7460 + ग्रेड वेतन रु0 2000) रु0 9460/-
  - (5) यदि पद पर अनुमत्य ग्रेड वेतन रु0 2000/- के स्थान पर दिनांक 10 अगस्त, 2007 से रु0 2400/- का उच्चीकृत ग्रेड वेतन अनुमत्य हुआ।
  - (6) (1) ग्रेड वेतन के उच्चीकरण की तिथि से वेतन निर्धारण कराने पर उच्चीकरण की तिथि को आगण्ठि भूल वेतन (बैण्ड वेतन रु0 7460+ग्रेड वेतन रु0 2400) रु0 9860/-
  - (2) शासनादेश सं0-वे0आ०-1318/दस-59(एम) / 08, दिनांक 08 दिसम्बर 2008 में सीधा भौति से ग्रेड वेतन रु0 2400/- में नियुक्ति पर निर्धारित न्यूनतम मूल वेतन (बैण्ड वेतन रु0 7510+ ग्रेड वेतन रु0 2400) है - रु0 9910/-
  - (7) अतः ग्रेड वेतन रु0 2400/- में उच्चीकरण की तिथि को निर्धारित भूल वेतन (6)(2) के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मूल वेतन (6)(1) के अन्तर्गत आगण्ठि भूल वेतन से अधिक होने पर रु0 9910/-
  - (8) (1) उच्चीकरण की तिथि से वेतन निर्धारण कराने पर अगली वेतनवृद्धि अर्थात् दिनांक 01 जुलाई, 2008 को वेतनवृद्धि अनुमत्य कराते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2008 को निर्धारित मूल वेतन (बैण्ड वेतन रु0 7810+ग्रेड वेतन रु0 2400) रु0 10210/-
  - (2) उच्चीकरण की तिथि के बाद 01 वेतन वृद्धि की तिथि अर्थात् दिनांक 01 जुलाई, 2008 से वेतन निर्धारण कराने पर दिनांक 01 जुलाई, 2007 को अनुमत्य भूल वेतन पर एक वेतनवृद्धि तथा उच्चीकृत ग्रेड देखा अनुमत्य कराते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2008 को निर्धारित मूल वेतन (बैण्ड वेतन रु0 7750 + ग्रेड वेतन रु0 2400)

(5)

(ख) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में 02 जनवरी से 30 जून तक उच्चीकरण होने के फलस्वरूप वेतन निर्धारण।

(1) यदि हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को निर्धारित रु0 15600-39100 रु0 6600/- वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन

(2) यदि दिनांक 01 जनवरी, 2006 को निर्धारित बैण्ड वेतन है - रु0 21630/-

(3) अतः दिनांक 01 जनवरी, 2006 को निर्धारित मूल वेतन (बैण्ड वेतन रु0 21630+ग्रेड वेतन रु0 6600) रु0 28230/-

(4) दिनांक 01 जुलाई, 2006 एवं दिनांक 01 जुलाई, 2007 की वेतन वृद्धियाँ अनुमन्य कराते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2007 को निर्धारित मूल वेतन (बैण्ड वेतन रु0 23360+ग्रेड वेतन रु0 6500) रु0 29960/-

(5) यदि यदि पर अनुमन्य ग्रेड वेतन रु0 6600/- के स्थान पर दिनांक 01 जून, 2008 से रु0 7600/- का उच्चीकृत ग्रेड वेतन अनुमन्य हुआ।

(6) (1) ग्रेड वेतन तो उच्चीकरण की तिथि से वेतन निर्धारण कराने पर उच्चीकरण की तिथि को आगामित मूल वेतन (बैण्ड वेतन रु0 23360+ग्रेड वेतन रु0 7600) रु0 30960/-

(2) शासनादेश सं0-वे030-1318/दस-59(एम)/08, दिनांक 08 दिसंबर, 2008 में सीधी भर्ती से ग्रेड वेतन रु0 7600/- में नियुक्ति पर निर्धारित न्यूनतम मूल वेतन (बैण्ड वेतन रु0 21900+ग्रेड वेतन रु0 7600) है।

(7) अतः ग्रेड वेतन रु0 7600/- में उच्चीकरण की तिथि को निर्धारित मूल वेतन (6)(1) से कम होने के कारण

(6)(2) के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मूल वेतन (बैण्ड वेतन रु0 24290+ग्रेड वेतन रु0 7600) रु0 31890/-

(8) (1) उच्चीकरण की तिथि ना होने के कारण दिनांक 01 जुलाई, 2008 से अनुमन्य न होने के कारण दिनांक 01 जुलाई, 2009 को वेतनवृद्धि अनुमन्य कराते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2009 को निर्धारित मूल वेतन (बैण्ड वेतन रु0 24290+ग्रेड वेतन रु0 7600) रु0 31860/-

(2) उच्चीकरण की तिथि के बजाए उच्चीकरण की तिथि के बाद देय वेतन वृद्धि की तिथि अर्थात् दिनांक 01 जुलाई, 2008 से वेतन निर्धारण कराने पर मूल वेतन पर के वेतनवृद्धि तथा उच्चीकृत ग्रेड वेतन अनुमन्य कराते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2008 को निर्धारित मूल वेतन (बैण्ड वेतन रु0 24260+ग्रेड वेतन रु0 7600) रु0 32820/-

तदोपरान्त आगामी वेतनवृद्धि की तिथि 01 जुलाई, 2009 को निर्धारित मूल वेतन (बैण्ड वेतन रु0 25220 + ग्रेड वेतन रु0 7600)

*Ans*  
प्राप्ति-प्रयोग-ए/प्रा. 78 सा. वित्त-31-12-2009 (1912)-5000 प्रतिया (कम्प्यूटर/टी।/ऑफिसर)

